

डलहौजी छावनी में श्वानों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए मसौदा उपनियम, 2024

क्रमांक सीबीडी-47/

छावनी बोर्ड कार्यालय,

डलहौजी, जिला चंबा, (हिमाचल प्रदेश)

दिनांक: 16 मार्च, 2024

(सार्वजनिक नोटिस)

1. यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 290 के तहत प्रदान किए गए डलहौजी छावनी, 2024 में श्वानों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए उप-कानूनों की मसौदा अधिसूचना डलहौजी छावनी बोर्ड ने केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ और छावनी उपनियमों के विनियमों और श्वानों के नियंत्रण को अधिक्रमण करते हुए रक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.04.1934 की अधिसूचना संख्या 13007 द्वारा डलहौजी छावनी में अधिसूचना जारी की है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उपधारा 1 के तहत प्रावधानित और केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित के अनुसार प्रकाशित किया गया है। इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और नोटिस दिया जाता है कि डलहौजी छावनी में श्वानों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए उक्त मसौदा उपनियम, 2024 को तीस की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दिन.

उपरोक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर डलहौजी छावनी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

2. डलहौजी छावनी बोर्ड के संबंध में डलहौजी छावनी में श्वानों के पंजीकरण और नियंत्रण, 2024 के लिए विस्तृत मसौदा उपनियम, डलहौजी छावनी बोर्ड की वेबसाइट <https://dalhousie.cantt.gov.in> पर अपलोड कर दिया गया है और इसे चिपका भी दिया गया है। आम जनता के अवलोकन हेतु कार्यालय सूचना बोर्ड।

3. इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो डलहौजी छावनी में श्वानों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए मसौदा उपनियमों, 2024 पर आपत्तियां / सुझाव दर्ज करना चाहता है, उसे छावनी बोर्ड डलहौजी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से जमा कर सकता है। या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले "ceodalh- stats@nic.in" पर ईमेल द्वारा।

मेबल क्रिस्टियन

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
डलहौजी छावनी
(मेबल क्रिस्टियन)

**DRAFT BYE-LAWS FOR THE REGISTRATION AND CONTROL OF DOGS IN
DALHOUSIE CANTONMENT, 2024**

No. CBD-47/
Office of the Cantonment Board,
Dalhousie, Distt Chamba, (H.P)
Dated : 16 March, 2024


(PUBLIC NOTICE)

1. This is for information of the general public that the draft notification of bye-laws for the Registration and Control of Dogs in Dalhousie Cantonment, 2024 as provided under Section 290 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) the Dalhousie Cantonment Board with the approval of the Central Government and in supersession of Cantonment bye-laws Regulations and Control of Dogs in Dalhousie Cantonment notified by the Defence Department, New Delhi vide Notification No.13007 dated 19.04.1934 is hereby published as provided under sub section 1 of Section 350 of the Cantonments Act, 2006 and also directed by the Central Govt. for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft bye-laws for the Registration and Control of Dogs in Dalhousie Cantonment, 2024 will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notice.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of a period of thirty days stated above will be considered by Dalhousie Cantonment Board.

2. Detailed draft bye-laws for the Registration and Control of Dogs in Dalhousie Cantonment, 2024 in respect of Dalhousie Cantonment Board, has been uploaded on Dalhousie Cantonment Board website <https://dalhousie.cantt.gov.in> and also pasted on the Office Notice Board for perusal of general public.

3. So, any person(s) who intend to file objections / suggestions on draft bye-laws for the Registration and Control of Dogs in Dalhousie Cantonment, 2024, may submit the same in the office of Cantonment Board Dalhousie in person or through *dak*, or by email at "ceodalhstats@nic.in" on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notice.


Chief Executive Officer
Dalhousie Cantonment
(Mabel Christian)